

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद गोरखपुर।

प्रेस विज्ञप्ति— दिनांक 08.10.2019

आज दिनांक 08.10.2019 को 25000,रु0 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सतीष यादव सहित अर्न्तजनपदीय महिला व पुरुष के साथ चैन/मोबाईल स्नेचिंग की घटनाओं को कारित करने वाले तथा उनके खरीदने वाले दुकानदार सहित कुल 07 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, इनके पास से 32000 रूपया नगद व घटना मे प्रयुक्त 4 अदद मोटरसाईकिल अपाची/पल्सर बरामद।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद गोरखपुर द्वारा, जनपद गोरखपुर के शहर व देहात क्षेत्र मे आये दिन चैन/मोबाईल स्नेचिंग की घटनाओ को गम्भीरता से लेते हुए उक्त घटना मे शामिल अभियुक्तो की गिरफ्तारी/बरामदगी व घटना के अनावरण हेतु काईम ब्रान्च को लगाया गया था।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर, व पुलिस अधीक्षक अपराध, जनपद गोरखपुर के कुशल पर्यवेक्षण में स्वॉट/सर्विलांस प्रभारी अपराध शाखा को मय टीम के साथ उक्त घटना मे शामिल अभियुक्तो की गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु लगाया गया था। उक्त टीमो द्वारा घटना मे शामिल अभियुक्तो की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में जानकारी व इनके गिरफ्तारी का लगातार प्रयास किया जा रहा था। तथा मुखबिर भी मामूर किये गये थे। इसी क्रम में आज दिनांक 08.10.2019 को स्वॉट/सर्विलांस प्रभारी अपराध शाखा मय टीम के साथ असुरन चौराहे पर मौजूद थे कि तभी जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि जनपद मे आये दिन हो रही चैन स्नेचिंग/मोबाईल स्नेचिंग की घटनाओं को कारित करने वाले कुछ शातिर अभियुक्त गण इस समय रेलवे पुल के पास खडे है तथा किसी घटना को करने के फिराक मे है , अगर जल्दी किया जाये तो अभियुक्त पकड़े जा सकते है। के सूचना पर विश्वास कर हम सभी लोग मुखबिर को साथ लेकर थाना प्रभारी शाहपुर को मुखबिर की सूचना से अवगत कराते हुये अपनी टीम के साथ उपरोक्त स्थान पर पहुँचने हेतु बताये एवं मय टीम आरपीएफ ट्रेनिंग सेण्टर के पास पहुँचे ,जहा पर थाना शाहपुर की टीम थोड़ी ही देर मे पहुँच गयी हम सभी लोग आपस मे वार्ता कर एक योजना बनाकर अपने आप को उनकी नजरो से छुपाते हुए पैदल ही रेलवे पुल की तरफ बढ़े कि तभी मुखबिर द्वारा सामने खडे कुछ व्यक्तियों को देखते ही, जो सभी आपस मे एक —दुसरे से खड़ा होकर वार्ता कर रहे थे को देखकर इशारा कर बताया गया कि यही वो लोग है इतना बताकर मुखबिर कही हट—बढ़ गया मुखबिर के जाते ही हम सभीलोग चारो तरफ से घेरकर एक साथ दबिस देकर चार मोटरसाईकिल सहित कुल 07 अभियुक्त पकड़ लिये परन्तु उसी दौरान इनका एक साथी जो पीछे झाड़ी के पास मोबाईल से कही वार्ता कर रहा था इनके गिरफ्तार होते ही शोर सुनकर मौके का फायदा उठकार फरार हो गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो एक—एक करके क्रमशः अपना नाम 1— संदीप प्रजापति 2—संदीप निषाद 3—सतीष यादव 4—मुन्ना चौहान 5—सोलू यादव 6—दीपू वर्मा 7— पप्पू वर्मा बताये। गाड़ी का कागजात मॉगने पर आना—कानी करने लगे जिसके उपरान्त सभी अभियुक्तो से कड़ाई से पूछताछ किया गया। फलस्वरूप सभी अभियुक्त जल्द टूट गये तथा अपनी जूर्म को स्वीकार किये। दौरान पूछताछ अभियुक्त संदीप प्रजापति द्वारा बताया गया कि साहब इसमे से दो मोटरसाईकिल चोरी की है तथा इन चारो गाड़ियो से हम पाँच लोग अलग—अलग नम्बर प्लेट बदलकर चैन स्नेचिंग की घटना को कारित करते है तथा दो लोग दीपू वर्मा व पप्पू वर्मा जो पेशे से सोनार है इनके पास उक्त ज्वेलरी को सेल करते है तथा आवश्यकतानुसार इनसे पैसा लेते रहते है। आज हम पाँचो लोग घटना कारित करने हेतु ही निकले थे उसी दौरान पैसो के लेन—देन के सम्बन्ध मे इन इनो से वार्ता कर रहे थे की आप लोगो द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये। पकड़े गये अभियुक्तो की गिरफ्तारी व बरामदगी का विवरण निम्नवत् है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता का विवरण:—

- 01— संदीप प्रजापति उर्फ पिन्दू पुत्र सीताराम प्रजापति नि0 सेमरा नं02 थाना गुलरिहा, गोरखपुर।
- 02— संदीप निषाद पुत्र रामभवन निषाद नि0 जंगल औराई विशुन टोला थाना गुलरिहा , गोरखपुर।
- 03— सतीष यादव उर्फ लोढ़ी पुत्र रामभजन यादव नि0 हरसेवकपुर नं02 टोला दहला थाना गुलरिहा गोरखपुर।
- 04— मुन्ना चौहान पुत्र जवाहर नि0 सेमरा नं02 थाना गुलरिहा गारेखपुर।
- 05— सोलू यादव पुत्र दयाराम यादव नि0 हरसेवकपुर नं02 टोला दहला थाना गुलरिहा गोरखपुर।
- 06— दीपू वर्मा पुत्र किर्तीलाल वर्मा नि0 सराय गुलरिहा थाना गुलरिहा गोरखपुर।
- 07— पप्पू वर्मा पुत्र रघुनाथ वर्मा नि0 सुखपुरा सोनार पट्टी थाना कोतवाली पडरौना गोरखपुर।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक

आरपीएफ कलोनी के आगे रेलवे पुल के पास थाना क्षेत्र शाहपुर -----दिनांक 08.10.2019

अभियुक्तों के पास से बरामदगी का विवरण:-

- 1- कुल 3200 रूपया बरामद। (लूट का)
- 2- एक अदद पल्सर चोरी की 220 सीसी। (घटना मे प्रयुक्त)
- 3- एक अदद अपाची चोरी की 180 आरटीआर सफेद रंग की। (घटना मे प्रयुक्त)
- 4- दो अदद आपाची मोटर साईकिल सफेद रंग की। (घटना मे प्रयुक्त)

अभियुक्तों को जिन मुकदमे में गिरफ्तार किया गया का विवरण:-

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	507 / 19	392,411,413,भादवि०	शाहपुर	गोरखपुर
2	506 / 19	392,411,413,भादवि०	"	"
3	444 / 19	392,411,413,भादवि०	"	"
4	488 / 19	392,411,413,भादवि०	"	"
5	266 / 19	392,411,413,भादवि०	"	"
6	376 / 19	392,411,413,भादवि०	सहजनवाँ	"
7	137 / 19	392,411,413,भादवि०	चिलुआताल	"
8	6 / 19	379,411 भादवि०	गीडा	"
9	355 / 19	379,411 भादवि०	गुलरिहा	"
10	218 / 19	392,411,413,भादवि०	कोतवाली	"
11	441 / 19	392,411,413,भादवि०	पिपराईच	"
12	461 / 19	392,411,413,भादवि०	"	"

अभियुक्त सतीष यादव का आपराधिक इतिहास जिनमे 25000,रु० का पुरस्कार घोषित है:-

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	284 / 19	147,148,149,307,336,332,353,504,506,419,420,467,468,471, भादवि० व 7 सीएलए एक्ट	गोरखनाथ	गोरखपुर
2	286 / 19	3/5 क/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं 11 पशु कूरता अधिनियम	"	"
3	253 / 19	307 भादवि०	तिवारीपुर	"

अभियुक्त संदीप प्रजापति का आपराधिक इतिहास का विवरण :-

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	689 / 17	41 / 411 ,392 भादवि०	कैण्ट	गोरखपुर
2	606 / 17	392 भादवि०	"	"
3	730 / 17	307,392,402,41 / 411,413,414 भादवि०	शाहपुर	"
4	163 / 17	392,411 भादवि०	राजघाट	"
5	794 / 17	4 / 25 आर्म्स एक्ट	कैण्ट	"
6	1103 / 17	3 (1)युपी० गैग्रेस्टर एक्ट	"	"

अभियुक्त मुन्ना चौहान का आपराधिक इतिहास जिसमे एक मुकदमे में फरार चल रहा था का विवरण :-

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	792 / 17	41 / 411,413,392, भादवि०	कैण्ट	गोरखपुर
2	795 / 17	4 / 25 आर्म्स एक्ट	"	"
3	138 / 19	419,420,467,468,471,382,34,41 / 411 भादवि० (वांछित)	गोरखनाथ	"

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम

- 1- उ०नि० अरूण पवार थानाध्यक्ष शाहपुर, जनपद गोरखपुर। मय टीम
- 2- उ०नि० सादिक परवेज प्रभारी स्वॉट (काईम ब्रान्च) जनपद गोरखपुर।
- 3- उ०नि० धीरेन्द्र राय प्रभारी सर्विलांस, (काईम ब्रान्च) जनपद गोरखपुर।
- 4- उ०नि० संजय कुमार सिंह, (काईम ब्रान्च) जनपद गोरखपुर।
- 5- उ०नि० चन्द्रभान सिंह, (काईम ब्रान्च) जनपद गोरखपुर।
- 6- उ०नि० राजाराम द्विवेदी चौ०प्र० कौवाबाग थाना शाहपुर, जनपद गोरखपुर।
- 7- उ०नि० रणजीत सिंह बघेल चौ०प्र० असुरन थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।
- 8- उ०नि० अशोक यादव थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।
- 9- हे०का० विपेन्द्र मल्ल स्वॉट टीम, (काईम ब्रान्च) जनपद गोरखपुर।
- 10- हे०का० राजमंगल सिंह स्वॉट टीम, (काईम ब्रान्च) जनपद गोरखपुर।
- 11- हे०का० शशिकान्त राय स्वॉट टीम, (काईम ब्रान्च) जनपद गोरखपुर।
- 12- हे०का० कामेश्वर दूबे स्वॉट टीम, (काईम ब्रान्च) जनपद गोरखपुर।
- 13- हे०का० योगेश सिंह स्वॉट टीम, (काईम ब्रान्च) जनपद गोरखपुर।
- 14- का० रशिद अख्तर खॉ स्वॉट टीम, (काईम ब्रान्च) जनपद गोरखपुर।
- 15- का० सनातन सिंह स्वॉट टीम, (काईम ब्रान्च) जनपद गोरखपुर।
- 16- का० मोहसिन खॉ स्वाट टीम, (काईम ब्रान्च) जनपद गोरखपुर।
- 17- का० प्रदीप राय स्वॉट टीम, (काईम ब्रान्च) जनपद गोरखपुर।
- 18'- का० कुतुबुद्दीन स्वॉट टीम, (काईम ब्रान्च) जनपद गोरखपुर।
- 19- का० शिवानन्द उपाध्याय स्वॉट टीम, (काईम ब्रान्च) जनपद गोरखपुर।
- 20- का० राकेश कुमार यादव स्वॉट टीम, (काईम ब्रान्च) जनपद गोरखपुर।
- 21- का० इन्द्रेण वर्मा स्वॉट टीम, (काईम ब्रान्च) जनपद गोरखपुर।
- 21- का० नमित मिश्रा सर्विलांस टीम, (काईम ब्रान्च) जनपद गोरखपुर।

नोट:-

पकड़े गये अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान प्रकाश में आया कि अभियुक्तगणों द्वारा जनपद कुशीनगर, महाराजगंज व संतकबीरनगर में भी चैन/मोबाईल स्नेचिंग की घटनाओं को कारित करते थे तथा चैन को बेचने के लिये शहर क्षेत्र से इतर ग्रामीण क्षेत्र व अन्य जनपदों की छोटी ज्वेलरी की दुकानों को चिन्हित कर उनके पास बेचते थे। तथा उस पैसों से ये लोग अपने शौक को पूरा करने के लिये नेपाल राष्ट्र के कैशिनो में जाते थे, लूट का ज्यादा पैसा इन लोगों द्वारा अपने कैशिनो में जुए/शराब की लत को पूरा करने में ही खर्च कर देते थे। चूंकि सभी अभियुक्तगण पूर्व में भी चैन/मोबाईल स्नेचिंग की घटनाओं में जनपद गोरखपुर से जेल जा चुके हैं इसलिये पुलिस के भय से स्थानीय होने के बावजूद भी अपने घर पर न रहकर शहर से सटे छोटे कस्बों में किराये का कमरा लेकर निवास कर रहे थे तथा वही से अपराध की घटना को कारित करते थे।

